FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

केदार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा **मु.न. 811/2025**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीना द्वारा वास्ते पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। तहसीलदार बैजूपाडा को प्रकरण के संदर्भ में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार एव तलबी दिनांक 19.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
19.12.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.01.26 को पेश हो।	
16.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार बैजूपाडा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 20.2.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
20-2-26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-02-26 को पेश हो।	
24.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बैजूपाडा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील हुए
	केदार .... बनाम .... राजस्थान सरकार मु.नं.– 811/25 किस्म – धारा 128 LRAct	
	प्रस्तु / वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र धारा 128 पर बहस करते एवं प्रा.पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र, तहसीलदार बैजूपाड़ा की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधि. 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

... सहायक/तहसीलदार जिला—दौसा

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
811/2025	14.11.2025	24.02.2026

बउनवान

1. केदार पुत्र रामरतन, निवासी बडाबास, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जंगलीराम पुत्र रामरतन, निवासी बडाबास, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मनोहर पुत्र रामरतन, निवासी बडाबास, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. हंसराज पुत्र रामरतन, निवासी बडाबास, तहसील मण्डावर, दौसा।

..**प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..**अप्रार्थी**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित आराजीयात खाता नया 59, खसरा सं. 1470, 1471, 1472, 1473, 1529, 1531, 2066, 2067, 2068, 2071, 2095, 2099, 2107, 2120, 2121 कुल किता 15, कुल रकबा 4.31 हैक्टे. ग्राम बडाबास पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजीयात से प्रार्थी अर्से दराज से काश्त का मुफीद होते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात के पडोसी काश्तकारान प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है जो कि आये दिन खेतों के मध्य बनी हुई डोल/मेड को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फसाद होते रहते है। आये दिन आदमी मरने की सूरत पैदा हो जाती है। संगीन वारदात पैदा होने की संभावना हो जाती है प्रार्थी पडौसी काश्तकारान का मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिये प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2025 अप्रार्थी सं. 01 के यहॉं पेष किया जिसकी पालना में दिनांक 07.06.2025 को हल्का पटवारी बालाहेडा एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूमि खसरा सं. 1531, 2107, 2121 कुल किता 03 ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के मौके पर पहुँचे उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया व सीमाज्ञान के लिये मुस्तकिल बिन्दु खसरा सं. 2159 गै.मु.चाह व खसरा सं. 2098 गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर उक्त भूमि खसरा सं. 1531 रकबा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

0.44 हैक्टे., 2107 रकबा 0.51 हैक्टे., 2121 रकबा 0.50 हैक्टे. समस्त भुजाओं का सीमाज्ञान करवाकर निशानात लगवाये गये तथा राजस्व ग्राम लोटवाडा के आराजी खसरा सं. 569, 579, 567 का तिमेडा से खसरा सं. 596 गैर मुमकिन चाह का मिलान किया गया जो राजस्व रिकॉर्ड और मौके के अनुसार सही पाया उक्त दोनों बिन्दुओं को स्थायी बिन्दू मानते हुये ग्राम लोटवाडा के आराजी खसरा सं. 601 रकबा 0.44 का सीमांकन कर चारों कोनों पर निषानात लगवाये गये।लेकिन फिर भी पडौसी काष्तकारान प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है इसलिये उक्त प्रार्थीगण की जब पत्थरगढी व तारबंदी नहीं हो जाती तब तक पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन परेषान करते रहते हैं इसलिये विवादित आराजीयात ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाडा की पत्थरगढी व तारबंदी के आदेष न्याायाल से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण पडौसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2025 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडों से मुक्ति मिल सकें। दिनांक 03.11.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 के यहॉ अपनी भूमि की पत्थगढी व तारबंदी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेष किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब आपकी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करेंगे। इसलिय प्रार्थना पत्र पेष करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 1531, 2107, 2121 कुल किता 03 वाकेग्राम बडाबास तहसील बैजूपाडा व खसरा सं. 601 रकबा 0.44 हैक्टे. ग्राम लोटवाडा तहसील बैजूपाडा का मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2025 के अनुसार मौके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थगढी व तारबंदी करवाये जाने के लिये अप्रार्थी सं. 01 को आदेशित फरमाया जावे मय पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किये जिससे प्रार्थीगण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील उपरान्त अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.02.2026 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के प्रार्थना में वर्णित ग्राम बडावास के आराजी खसरा सं. 1470, 1471, 1472, 1473, 1529, 1531, 2066, 2067, 2068. 2071, 2095, 2099, 2107, 2120, 2121 कुल किता 15 रकबा 4.31 हैक्टे. एवं ग्राम लोटवाड़ा के आराजी खसरा नं. 601 रकबा 0.44 हेक्टे. भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड केदार पुत्र रामरतन, जंगलीराम पुत्र रामरतन वगै. जाति मीना सा. देह संयुक्त खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में से खसरा नं. 1531 रकबा 0.44, खसरा नं. 2107 रकबा 0.51, खसरा नं. 2121 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि ग्राम बडाबास व आराजी खसरा नं. 601 रकबा 0.44 हैक्टेयर ग्राम लोटवाडा का प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। आराजी खसरा सं. ग्राम बडाबास के आराजी खसरा सं. 1470, 1471, 1472, 1473, 1529, 1531, 2066, 2067, 2068, 2071, 2095, 2099, 2107, 2120, 2121 कुल किता 15 रकबा 4.31 हैक्टे. एवं ग्राम लोटवाडा के आराजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खसरा सं. 601 रकबा 0.44 हैक्टे. भूमि पर वादी खातेदारों का कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजीयात् पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बडाबास, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा मे स्थित आराजी खसरा सं. 1531, 2107, 2121 के एवं ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा के आराजी खसरा सं. 601 के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 07.06.2025 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है।

4. प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बडाबास पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1531, 2107, 2121 कुल रकबा 0.50 हैक्टे. एवं ग्राम लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा के आराजी खसरा सं. 601 रकबा 0.44 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)